


राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक :- नर्सिंग/एनआरएचएम/जीएनएम / (216)/2017/232

दिनांक:- 27/7/17

आदेश


माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 6207/2009 द्वारा श्री राजकुमार बनाम सरकार एवं अन्य समान याचिकाओं में दिनांक 07.12.2016 को पारित निर्णय की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/एनआरएचएम/जीएनएम/(216)/2017/106 दिनांक 04.05.2017 द्वारा एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर जीएनएम रखे जाने हेतु जिलेवार अंतरिम वरियता सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर किया जाकर दिनांक 20.05.2017 तक संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। अंतिम तिथि तक प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु गठित समिति द्वारा आपत्तियों का निस्तारण कर दिये जाने के उपरान्त निम्नलिखित जिलों की अंतिम वरियता सूची एतद् द्वारा प्रकाशित की जाती है।

क्र सं	जिला
1	जाटोर
2.	सीकर
3.	जोधपुर


अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
दिनांक:

क्रमांक :- नर्सिंग/एनआरएचएम/जीएनएम / (216)/2017/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - मिशन निदेशक (एन.एच.एम) एवं शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
 - परियोजना निदेशक, एन.एच.एम, मुख्यालय।
 - श्री राजेश पंवार, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
 - उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्रभारी अधिकारी केस।
प्रगारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न जिलेवार सूचियां विभागीय वेब साइट पर अपलोड करें।
आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर